राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ

विज्ञापन संख्याः 03 / एस.सी.डी.आर.सी. / 74 / 08टी.सी.II दिनांकः 30 मई, 2014

विकलांगजन के रिक्त पद पर विशेष भर्ती अभियान

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों हेतु समूह 'ग' तथा समूह 'घ' से सम्बन्धित रिक्त पदों पर भर्ती शासन की अधिसूचना संख्या 20 / 4 / 2002 / का–2–2002, दिनांक 29 जून, 2002 एवं अधिसूचना संख्या 20 / 4–2002–क–2–2014, दिनांक 29 जनवरी, 2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 व 2014 (यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण (राज्य आयोग और जिला फोरम) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2006 में निर्दिष्ट नियमों एवं समूह 'घ' से सम्बन्धित पदों पर भर्ती समूह 'घ' सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानानुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 30.06.2014 होगी। अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

रिक्तियों का विवरण

क्र. सं	पदनाम / वेतनमान	रिक्त पद	बैकलाग की संख्या विकलांगता की श्रेणी सहित				आवश्यक अर्हता
			दृष्टि बाधित या कम दृष्टि	श्रवण ह्रास	चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आशुलिपिक ग्रेड–2 (वेतन बैण्ड 5200–20200 के सादृश्य ग्रेड वेतन 2400) (समूह 'ग')	01 (राज्य आयोग / जिला फोरम हेतु)	01	00	00	01	इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रतिमिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना)
1.	चपरासी	01	00	01	00	01	1. कम से कम कक्षा

	(वेतन बैंण्ड 5200–20200 के सादृश्य ग्रेड वेतन 1800) (समूह 'घ')	(जिला फोरमों हेतु)					पांच की परीक्षा उत्तीर्ण 2. देव नागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान हो।

आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि :– निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 30.06.2014 तक कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. समूह 'ग' से सम्बन्धित पद पर भर्ती प्रक्रिया अधिसूचना संख्या–20/4/2002/का–2–2002, दिनांक 29 जून, 2002 एवं अधिसूचना संख्या 20/4–2002–क–2–2014, दिनांक 29 जनवरी, 2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2002 व 2014 (यथासंशोधित) में निर्दिष्ट नियमों तथा विभागीय सेवा नियमावली में निहित प्रावधानानुसार की जायेगी।
2. समूह 'घ' से सम्बन्धित पद पर भर्ती प्रक्रिया समूह 'घ' सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानानुसार की जायेगी।
3. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में यह दर्शाना अनिवार्य होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से सम्बद्ध हैं।
4. अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत विकलांगता से ग्रस्त हों।
6. अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2013 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।
7. रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
8. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा ही मान्य होगा। कोई भी आवेदन पत्र सीधे प्राप्त नहीं किया जायेगा।
9. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक होगा।
10. आवेदन पत्र में यथास्थान नवीनतम पासपोर्ट साइज का राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो चिपकायें तथा एक अतिरिक्त फोटो साथ में संलग्न करें।
11. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट अक्षरों में अपने पत्र व्यवहार का पूरा पता अंकित करके 10X23 से.मी. के दो लिफाफे जिन पर रजिस्ट्री डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है।
12. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता, अन्य प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
13. अभ्यर्थी को परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता आदि नहीं देय होगा।
14. अभ्यर्थी को आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा हेतु टाइप मशीन अपने साथ लानी होगी।
15. अभ्यर्थी के अर्ह एवं अनर्ह होने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
16. शासकीय सेवा में कार्यरत् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ स्वीकार किये जायेंगे।
17. लिखित परीक्षा/आशुलेखन परीक्षा/टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार का स्थान, दिनांक व समय पृथक से सूचित किया जायेगा।
18. शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
19. एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य है। एक से अधिक आवेदन पत्र होने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

20. समूह 'ग' के पद पर आशुलेखन/ टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जायेगी।
21. शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें लागू होंगी।

(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ।

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्याः–
आवेदित पद का नामः–

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पास्पोर्ट साइज फोटो चिपकायें

1. नामः–
   हिन्दी में (देवनागरी लिपि)..
   अंग्रेजी मेंः (कैपिटल अक्षरों में)..
2. पिता का नाम ....
3. स्थायी पता ....
   ....
4. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य उसका स्पष्ट उल्लेख करें तथा निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
6. विकलांगता की श्रेणी एवं विकलांगता का प्रतिशत..
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. जन्म तिथिः–
   (अ) तिथि.................माह........................वर्ष.................
   (ब) आयु 01 जुलाई, 2013 को........वर्ष.........माह...................दिन.....................
8. राष्ट्रीयता ....
9. यदि सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं तो उसका पंजीयन संख्या.........................
   (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
10. (क) विवाहित अथवा अविवाहित...................................
    (ख) यदि विवाहित हों तो एक से अधिक पत्नियॉ न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें..............
....
11. शैक्षिक योग्यता :–

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	श्रेणी	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

12. यदि आप खिलाड़ी रहे हों तो–
(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ....
(2) राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी...............................
(3) राज्य स्तर के खिलाड़ी.................................
(4) विश्वविद्यालय / कालेज / स्कूल स्तर के खिलाड़ी...................
(जैसी भी स्थिति हो, प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. यदि किसी राजकीय सेवा अथवा अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत् हैं, तो अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें।
14. किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवा में डिबार तो नहीं किये गये हैं।
15. आपके विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई अभियोग चला हो, विचाराधीन हो अथवा सजायाफ्ता हो के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख करें।
16. क्या प्रादेशिक सेना में दो वर्ष न्यूनतम सेवा की है, यदि हां तो उसका उल्लेख करें तथा प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी संलग्न करें।
17. क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' सार्टीफिकेट प्राप्त किया है, यदि हां तो उसका उल्लेख करें, साथ में प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी संलग्न करें।
18. अन्य विवरण यदि कोई हो.....................

घोषणा–पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि :–
19 मैंने विज्ञापित की गई पात्रता / अर्हता की शर्ते सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे शर्तें मैं पूरी करता / करती हूँ।
20. इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण / सूचनायें सत्य एवं सही हैं, मैंने इस विवरण / सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है, न ही कोई गलत तथ्य दिया है।
21.यदि कोई विवरण / सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।
22. यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्नकों की संख्या................................
संलग्नकों का विवरण................................
दिनांक.......................................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर न होने अथवा पठनीय न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा)